

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 1984/ज्येष्ठ 8, 1906
No. 186] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 1984/JYASTHA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त संचालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई 1984

अधिसूचना

सं० 167/84-सीमा शुल्क

सां०का०नि० 418(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम,
1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना

आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 213/83-सीमा शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “31 मई, 1984” अंकों और शब्द के स्थान पर “31 मई, 1985” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा०सं० 355/185/84-सीमा शुल्क-1]

(एम०एन० विश्वास, अधर सचिव)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 29th May, 1984

NOTIFICATION

No. 167/84-CUSTOMS

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 213/83-Customs, dated the 23rd July, 1983, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words “31st day of May, 1984”, the figures, letters and words “31st day of May, 1985” shall be substituted.

[F. No. 355/185/84-CUS.I]

M. N. BISWAS, Under Secy.